केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

सं. सीबीएसई/कार्मिक-ए/7वें सीपीसी(आरपी)/2017/ दिनांक : 01.02.2017

परिपत्र

बोर्ड के सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय सिविल सेवा (परिशोधन वेतन) नियम 2016 की अनुसूची के भाग ए में यथा समाविष्ट वेतन मैट्रिक के अनुसार वेतन के निर्धारण के लिए इस परिपत्र के जारी होने के तीन दिनों के भीतर अपने संबंधित कार्यालय की 'कार्यान्वयन समिति' को अपना विकल्प फार्म प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

हस्ता०
(अजय मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण

1. अध्यक्ष, सीबीएसई के कार्यपालक अधिकारी
2. सभी सीबीएसई विभागाध्यक्षों के वरिष्ठ निजी सचिव
3. दिल्ली/एनसीआर कार्यालयों में तैनात सभी कर्मचारी
4. सूचना पट्ट
5. गार्ड फाइल

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Telephone : +91-11-22509256, 22509257 वेबसाइट/Website: www.cbse.nic.in

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

सीबीएसई/संयुक्त सचिव/(प्रशा. एवं विधि)/2017/466-490 **दिनांक : 13.01.2017**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नियमों की अनुसूची के भाग - ए में वेतन मैट्रिक्स के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम 2016 का अंगीकरण

केंद्रीय सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम 2016 की अनुसूची के भाग ए में यथा समाविष्ट वेतन मैट्रिक्स तथा कथित नियमों में यथा समाविष्ट वेतन निर्धारण के सिद्धांत के अनुसार,परिशोधित वेतनमानों को स्वायत्त संगठनों हेतु विस्तारित करने के लिए केंद्रीय सरकार के निर्णय के फलस्वरूप, अध्यक्ष, सीबीएसई ने सीबीएसई में 25.07.2016 से सीसीएल (आरपी) नियम 2016 का अंगीकरण करने का अनुमोदन किया है, जैसा कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जी.एस.आर. 721 (ई) के तहत यथा अधिसूचित है जो कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, के कार्यालय ज्ञापन सं. फ. सं. 1/1/2016-ई.III(ए) दिनांक 13.02.2017 में समाविष्ट अनुबंधों के अनुसार है।

2. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय को (दिल्ली/एनसीआर के कार्यालयों के संबंध में) सीसीएस (आरपी) नियम 2016 की अनुसूची के भाग-ए में समाविष्ट वेतन मैट्रिक्स के अनुसार परिशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन, लेखा से एक-एक अधिकारी और डीडीओ को शामिल करते हुए एक उपयुक्त 'कार्यान्वयन समिति' का गठन करना अपेक्षित है।

3. वेतन मैट्रिक्स के अनुसार परिशोधित वेतनमानो 01.01.2016 से प्रभावी होगें और वेतन का बकाया सीसीएस (आरपी) नियम 2016 के नियम 14 के अधीन प्रावधानों के अनुसार देय होगा।

4. चूंकि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न भत्तों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, परिशोधित वेतनमानों के अंगीकरण के बावजूद विद्यमान निबंधन एवं शर्तों के अनुसार विद्यमान भत्ता स्वीकार्य रहेगा।

5. सीसीएस (आरपी) नियम 2016 के कार्यान्वयन पर एक दिवसीय 'सुग्राहीकरण तथा विवरण सत्र' सीबीएसई मुख्यालय में 02.02.2017 में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय की कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होना अपेक्षित है।

यह बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

(अजय मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

वितरण :-

1. आईएएफए, सीबीएसई बजट के अनुसार निधि के आवंटन हेतु
2. अध्यक्ष, सीबीएसई के कार्यपालक अधिकारी
3. सभी निदेशक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
4. बोर्ड के सभी डीडीओ
5. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उ.कें.
6. दिल्ली/एनसीआर में बोर्ड के कार्यालय
7. गार्ड फाइल

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Telephone : +91-11-22509256, 22509257 वेबसाइट/Website: www.cbse.nic.in